|| जय नंदी बाबा || || श्री करनला || || जय गोमाता ||

|| सेवा || || सुरक्षा || || सम्मान ||

भूले नहीं याद रखें 27 अप्रैल 2026 {गो सम्मान दिवस}

को प्रातः हम सभी भारतवासियों, गो प्रेमियों को अपने-अपने तहसील/ब्लॉक कार्यालय जाकर तहसीलदार अथवा ब्लॉक अधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, महामहिम राज्यपाल एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम का प्रार्थना पत्र तसीलदार अथवा उपखण्ड अधिकारी को देना है

गो सम्मान

आह्वान अभियान

All Social Media Address

Gau samman aahvaan abhiyaan

।।अभियान कार्यकारिणी ।।

प्रधान संरक्षक - गौमाता (आद्यशक्ति मां सुरभि)
अध्यक्ष - नंदी बाबा (नीलमणि वृषभदेव)

आशीर्वाद– भारतीय परम्परा के समस्त आराध्य देवी देवता।

सेवा और सहयोग :– भारतीय परम्परा के समस्त आचार्य, मूर्धन्य संत महापुरुष, गो संत, गो भक्त, गोरक्षक, गो सेवक, गो पालक, गो पुत्र, गो वत्स और समस्त गो प्रेमी जन।

।। गो सम्मान आह्वान अभियान के मुख्य उद्देश्य ।।

केंद्र सरकार और देश की सभी राज्य सरकारों से राष्ट्र और भारतीय संस्कृति के हित में संविधान के दायरे में रहकर अहिंसक तरीके से प्रार्थना कर गो माता को

(1) सेवा (गो माता को उचित अनुसंधान और अनुदान मिले)
(2) सुरक्षा (भारत से गोहत्या पूरी तरह समाप्त हो)
(3) सम्मान गो माता राष्ट्रमाता (राष्ट्रदेव, राष्ट्रआराध्या, राष्ट्र धरोहर, राष्ट्र आधार बने) का मौलिक अधिकार प्रदान करवाना।

।। गो महिमा ।।

(1) गोमाता 33 कोटि देवी देवताओं की सात्विक शक्ति अपने तन में समाहित रखती हैं।
(2) गोमाता का दूध, दही, घी सात्विक निरापद आहार होने के साथ–साथ दिव्य औषधि भी है।
(3) गोमय और गोमूत्र दिव्य औषधि होने के साथ–साथ विषमुक्त कृषि का मूल आधार है।
(4) भारतीय संस्कृति, परंपरा, संस्कार और जीवनशैली बिना गोमाता के अकल्पनीय है।
(5) राष्ट्र गौरव, राष्ट्र रक्षा, राष्ट्र शांति और राष्ट्र का वास्तविक विकास गोमाता की सेवा सुरक्षा और सम्मान के बिना संभव नहीं है।

सरकार से मुख्य आग्रह

(गोरक्षा संबंधित मुख्य आग्रह)

1. गोमाता को राष्ट्र माता, राष्ट्र देव, राष्ट्र आराध्या, राष्ट्र धरोहर अथवा राष्ट्र आधार का सम्मानित पद प्रदान करें। (गो माता को सम्मान मिले)
2. गो सेवा हेतु केंद्रीय कानून बने । (जिससे संपूर्ण भारतवर्ष में समान रूप से गो सेवा हो सके)
3. भारतवर्ष में गो हत्या पूरी तरह समाप्त हो । (जिससे गो माता पूर्णतः सुरक्षित हो)

(गोगव्य महत्व संबंधित मुख्य आग्रह)

1. गोबर, गोमूत्र को लेकर के बृहद अनुसंधान केंद्र कृषि विश्वविद्यालयों में बने जिससे गोबर, गोमूत्र का कृषि और अन्य उपयोग में महत्व बढे ।
2. गो माता का दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र को बढ़ावा मिले, उस संदर्भ में शासन उचित नीतियां बनाए ।
3. गोबर, गोमूत्र से जुड़े प्रसंस्करण यूनिट को बढ़ावा दिया जाए और नवीन अनुसंधान हो ।
4. रासायनिक कृषि को नियंत्रित कर गो अधारित कृषि को बढ़ावा दिया जाए।
5. सरकारी भवनों और चिकित्सालय में सामान्य पेंट की जगह गोबर पेंट और फिनायल की जगह गोनाईल उपयोग आनिवार्य किया जाए।
6. आयुर्वेदिक चिकित्सालय में पंचगव्य औषधियों का नि:शुल्क वितरण किया जाए।
7. गोबर गोमूत्र से जुड़े उद्यम लगाने के लिए उद्यमियों को प्रेरित करें (किसी भी फैक्ट्री वाले को जमीन देने से पहले यह तय करें, कि उनको गो सेवा से जुड़ा हुआ कोई एक कार्य साथ साथ करना होगा)
8. सरकारी नियंत्रण में चल रहे मंदिरों में भोग, आरती, पूजा और प्रसाद में देशी गोमाता का दूध, दही, घी का उपयोग अनिवार्य किया जाए।
9. बड़े शॉपिंग मॉल में गो आधारित कृषि उत्पाद और देशी गो से संबंधित डेयरी और गोबर गोमूत्र उत्पाद विक्रय हेतु एक काउंटर की अनिवार्यता लागू की जाए।
10. वृषभ आधारित कृषि करने वाले वृषभ धारक किसानो को विशेष आर्थिक सहायता प्रदान की जाए।

(अनुदान एवं चारा संबंधित मुख्य आग्रह)

1. सभी राज्यों में निराश्रित गोवंश हेतु संचालित गौशालाओ को अनुदान प्राप्त हो, जिससे निराश्रित गोवंश की उचित सेवा हो ।
2. चारे की उचित कीमत तय की जाए, चारे के अवैध भंडारण पर रोक लगे जिससे माफिया पर लगाम लगे।
3. घास का उपयोग केवल गो आहार और पशु आहार के रूप में हो, अन्य उपयोग न हो, चारे को फैक्ट्रीयो में जलाने पर प्रतिबंध लगे।
4. देश भर में आरक्षित गोचर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करने हेतु कार्यवाही हो गोचर विकास बोर्ड की स्थापना हो गोचर भूमिका उपयोग केवल गोशाला संचालन और गो चारण हेतु हो।

(गोशाला संबंधित मुख्य आग्रह)

1.भारत के प्रत्येक प्रांत में कम से कम एक-एक गो अभ्यारण्य उपयुक्त वन भूमि या गोचर भूमि पर खोला जाए।

2. प्रत्येक ग्राम पंचायत पर निराश्रित नर गोवंश के लिए नंदीशाला की स्थापना हो ।

3. गौशालाओं को मनरेगा से जोड़ा जाए, ताकि गौशाला में काम करने वाले लोगों को 100 दिन का ग्वाल वेतन मनरेगा से प्राप्त हो एवं मनरेगा योजना के तहत गौशालाओं में निर्माण कार्य हो।

4. सम्पूर्ण देश में गोवंश संख्या के आधार पर गौशालाओं को एक निश्चित बिजली यूनिट नि:शुल्क आवंटित हो अथवा बिजली बिल में एक निश्चित प्रतिशत छूट मिले।

5. अधिक दान प्राप्त करने वाले सरकारी नियंत्रण में चल रहे मंदिरों के साथ गौशाला संचालन अनिवार्य किया जाये।

6. महानगरों में बड़े आवासीय क्षेत्र में गौशाला स्थापित करने हेतु बिल्डर को पृथक स्थान छोड़ने के निर्देश जारी किए जाए ताकि वहाँ रहने वाले गोप्रेमियों को गो दर्शन और गो ग्रास का लाभ प्राप्त हो एवं निराश्रित गोवंश को आश्रय प्राप्त हो सके।

7. गोवंश की मृत देह का उचित अंतिम संस्कार हो सके, ऐसा स्थान सरकार उपलब्ध कराए और अंतिम संस्कार (समाधि) की उचित व्यवस्था हो, ताकि गोमाता की मृत देह का अपमान ना हो।

(कानून संबंधित मुख्य आग्रह)

1. गो हत्यारों, गो तस्करी में लिप्त अपराधियों के लिए आजीवन कठोर कारावास जैसी सजा का प्रावधान हो।

2. गो तस्करी में उपयोग आने वाले वाहनों की जब्ती होने पर जमानत न हो व सदा सदा के लिए राजसाद हो और उन्हें नीलाम किया जाए अथवा गौशालाओं को उपयोग हेतु सौंप दिया जाए।

3. कंपनियों के CSR फंड मे से एक निश्चित राशि गो सेवा से जुड़े कार्यो हेतु खर्च करने की अनिवार्यता लागू हो ।

4. सिंगल यूज़ पॉलीथिन केरी बेग के उपयोग पर शक्तिपूर्वक प्रतिबंध लगाया जाए अथवा उसके उपयोग के पश्चात विधिवत निस्तारण किया जाये ।

5. पशु मेलो के नाम पर हो रही अवैध गो तस्करी पर अंकुश लगाने हेतु केंद्रीय क़ानून बने ।

(गो चिकित्सालय एवं विद्यालय से संबंधित मुख्य आग्रह)

1. जिला स्तर पर पृथक से पंचगव्य चिकित्सालयो की स्थापना हो ।

2. विद्यार्थियों को दिए जाने वाले मिड डे मील में देशी गाय माता के ताजा दूध अथवा देशी गाय माता के दूध के पाउडर को शामिल किया जाये ।

3. संस्कृत महाविद्यालयों में गोसेवा प्रकल्प अनिवार्य किए जाये।

4. सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों और महाविद्यालयों में देशी गाय के आर्थिक वैज्ञानिक और धार्मिक महत्व के विषय अनिवार्य किए जाए।

5. राजमार्गों पर होने वाली गो दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के उपाय किए जाए, प्रत्येक 50 किमी अथवा प्रत्येक टोल प्लाजा पर घायल गोवंश को तत्काल उपचार मुहैया कराने हेतु गो वाहिनी एम्बुलेंस और गो चिकित्साकर्मी नियुक्त हो तथा प्रत्येक 150-200 किमी पर गो चिकित्सालय की व्यवस्था हो ।

कार्यकर्ता नियोजन

(1) देश के लगभग 780 जिलों में प्रत्येक जिला स्तर पर तीन संत और तीन गो प्रेमी मजबूत कर्मनिष्ठ कार्यकर्ता को जोड़ा जाएगा, जो जिले के अन्य गो प्रेमी संतों और गो प्रेमी भाई-बहनों को इस अभियान से जोड़ेंगे।

(2) जिले में प्रचार सेवा करने वाले ये 6 महापुरुष अपने-अपने जिले की प्रत्येक तहसील तक जाकर कम से कम 3 गोभक्तों और 3 गो संतों को जोड़ेंगे, जिसमें एक गोभक्त और एक संत को एक तहसील प्रभार देकर दो गोभक्तों और दो संतों को उनके सहयोग के लिए लगायेंगे।

(3) इस प्रकार देश की 5000 तहसीलों में प्रत्येक तहसील स्तर पर, जो तहसील के प्रचारक कार्यकर्ता अपनी-अपनी तहसील/ब्लॉक के प्रत्येक ग्राम स्तर तक अन्य गो प्रेमी संतों और गो प्रेमी भाई-बहनों को इस अभियान से जोड़ेंगे, वो अभियान के चारों चरणों में सहयोग करेंगे।

अत्यंत महत्वपूर्ण स्मरण बिंदु

(1) यह अभियान किसी संस्था अथवा संगठन के बैनर तले ना होकर केवल ईश्वर, गोमाता, और नंदी बाबा के सानिध्य में होगा ।

(2) इस अभियान में किसी आचार्य, संत, महंत, नेता, अभिनेता,कार्यकर्ता का नेतृत्व नहीं होगा नाही उपरोक्त में से किसी का फ़ोटो, पोस्टर, बैनर, होर्डिंग पर लगेगा।

केवल नंदी महाराज और गोमाता का ही चित्र प्रचार सामग्री पर मुद्रित होगा ।

(3) यह अभियान किसी भी राजनैतिक दल, संगठन, अथवा किसी भी राज्य अथवा केंद्र सरकार के विरुद्ध नहीं है, इस अभियान का उद्देश्य केवल मात्र गो माता को सेवा सुरक्षा और सम्मान मिले इस हेतु आग्रह है ।

(4) यह अभियान पूर्णरुपेण अहिंसक होगा इस अभियान के दौरान किसी भी राष्ट्रीय अथवा किसी भी निजी सम्पति को नुक़सान पहुँचाने वाले विचारकों को पूरी तरह दूर रखा जाएगा ।

(5) इस अभियान में कोई मंचीय उद्बोधन नहीं होगा, कोई माइक से भाषण नहीं होगा। गो प्रेमीजन अपनी बात संकीर्तन, रेली और प्रार्थना पत्र के माध्यम से रखेंगे ।

(6) इस अभियान में किसी से भी किसी प्रकार का दान चंदा नही लिया जायेगा ।

27 अप्रैल (गो सम्मान दिवस) के दिन भारत के सभी विद्यालयों और महाविद्यालयों के सभी विद्यार्थी भाई बहन और देश के सभी नागरिक गो सेवा, गो सुरक्षा और गो सम्मान के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को ट्वीट अवश्य करे।

गो सम्मान आह्वान अभियान कार्य योजना

प्रत्येक जिला मुख्यालय पर कम से कम 3 गो भक्तों और 3 गो संतों को जोड़ा जाए, जिसमें एक गोभक्त और एक संत को प्रभार देकर, दो गोभक्तों और दो संतों को उनके सहयोग के लिए लगाना है। जिले में सेवा करने वाले ये 6 महापुरुष अपने जिले के प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर जाकर कम से कम 3 गोभक्तों और 3 गो संतों को जोड़ेंगे, जिसमें एक गोभक्त और एक संत को एक तहसील प्रभार देकर दो गोभक्तों, दो संतों को उनके सहयोग के लिए लगाना है।

ये सभी गोभक्त और गो संत निम्न बिंदुओं पर कार्य करेगे :-

1. पाँच माह (दिसम्बर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल) में गहन प्रचार प्रसार एवं जनसंपर्क कर सकल सनातन भारतीय समाज को अभियान से जोड़ेंगे।

2. पूर्ण तैयारी कर दिनांक 27 अप्रैल 2026 (सोमवार) को उस क्षेत्र के सभी गोभक्तों एवं संतों के साथ मिलकर तहसील/ब्लॉक मुख्यालय जाकर तहसीलदार/SDM को, माननीय राष्ट्रपति महोदया, भारत के प्रधानमंत्री महोदय, राज्य के माननीय राज्यपाल महोदय, राज्य के मुख्यमंत्री महोदय के नाम गो सेवा, गो सुरक्षा और गो सम्मान के निमित्त प्रार्थना पत्र देंगे।

3. इसके पश्चात् ढाई माह (मई, जून, जुलाई) शासन से सकारात्मक संवाद करते हुए प्रतीक्षा करेंगे। दिनांक 10 जुलाई 2026 तक राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से आशा अनुकूल उत्तर और परिणाम प्राप्त हो जाता है, तो दिनांक 27 जुलाई 2026 (सोमवार) को देश के प्रत्येक जिला केन्द्रों पर जाकर जिला कलेक्टर के माध्यम से शासन और सरकार को धन्यवाद पत्र देंगे।

4. किसी कारणवश तय तिथि तक सकारात्मक परिणाम नहीं मिलता है, तो दिनांक 27 जुलाई 2026 (सोमवार) को प्रत्येक जिला केन्द्रों पर जाकर जिला कलक्टर को माननीय राष्ट्रपति महोदया, भारत के प्रधानमंत्री महोदय, राज्य के माननीय राज्यपाल महोदय, राज्य के मुख्यमंत्री महोदय के नाम पुन: गो सेवा, गो सुरक्षा और गो सम्मान के निमित्त प्रार्थना पत्र देंगे।

5. (अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर) ढाई तक माह शासन से सकारात्मक संवाद करते हुए प्रतीक्षा करेंगे। दिनांक 10 अक्टूबर 2026 तक राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से आशा अनुकूल उत्तर और परिणाम मिलता है, तो 27 अक्टूबर 2026 (मंगलवार) को प्रत्येक राज्य की राजधानी जाकर राज्य सचिव के माध्यम से शासन और सरकार को धन्यवाद पत्र देंगे।

गो सम्मान आह्वान अभियान कार्य योजना

6. किसी कारणवश तय तिथि तक सकारात्मक परिणाम नहीं मिलता है, तो दिनांक 27 अक्टूबर 2026 (मंगलवार) में सभी जिला एवं तहसील के संत अपने- अपने जिले के सभी गोभक्तों को लेकर अपने-अपने प्रदेश की राजधानी में पहुंचकर, मुख्यमंत्री जी एंव राज्यपाल महोदय के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति महोदया जी और भारत के प्रधानमंत्री जी के नाम राज्य शासन सचिव को प्रार्थना पत्र देंगे।

7. पुनः तीन माह (नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी) शासन से सकारात्मक संवाद करते हुए प्रतीक्षा करेंगे। तीन माह प्रतीक्षा करने पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से 26 जनवरी 2027 तक आशा अनुकूल उत्तर अथवा परिणाम मिल जाता है, तो 27 फरवरी 2027 (शनिवार) को सभी राज्यों के 5000 तहसील और 780 जिलों के नियुक्त किए संत एवं गो भक्त एक महीने तैयारी करके अनेकों (एक करोड़ से अधिक) गो प्रेमियों लेकर दिल्ली पहुंचेगे और सरकार को धन्यवाद प्रदान करेंगे।

8. अगर किसी भी कारण से गो सेवा, गो सुरक्षा और गो सम्मान हेतु 26 जनवरी 2027 तक भी सरकार की ओर से सकारात्मक गो कार्य नहीं होता है तो 36 प्रांतों के 780 जिलों, 5000 तहसीलों के नियुक्त किए सभी गो संत एवं गो भक्त एक माह में तैयारी करके अधिकाधिक गो प्रेमियों को लेकर दिनांक 27 फरवरी 2027 (शनिवार) को राष्ट्र की राजधानी दिल्ली पहुंचकर शांतिपूर्ण तरीके से संकीर्तन करते हुए गो सेवा, गो सुरक्षा एवं गो सम्मान के लिए केंद्र सरकार से नियमित पत्र लेखन के माध्यम से आह्वान करेंगे। ये सभी गोभक्त साढ़े पाँच माह अर्थात् 15 अगस्त 2027 (रविवार) तक दिल्ली में बैठकर सरकार से नियमित गो सेवार्थ, गो रक्षार्थ, गो सम्मानार्थ प्रार्थना जारी रखेंगे।

9. इस संकीर्तन सभा में देश के प्रत्येक जिले से 7-7 दिन का समय लेकर अलग-अलग तिथियों पर अलग-अलग जिलो के गो प्रेमी, गो संत तथा कार्यकर्ता शामिल होंगे। साढ़े पाँच माह कीर्तन सहित प्रार्थना और प्रतीक्षा करने पर 15 अगस्त 2027 को प्रधानमंत्री जी लाल क़िले की प्राचीर से गो सेवार्थ, गो रक्षार्थ और गो सम्मानार्थ उचित समाधान कर देते है तो सभी गोभक्त सरकार को धन्यवाद देकर लौट जायेंगे।

10. उपरोक्त चार चरणों में (तहसील, जिला, राज्य और केंद्र) 16 माह तक शांतिपूर्ण प्रार्थना करने पर भी सरकार की ओर से गो सेवार्थ, गो रक्षार्थ और गो सम्मानार्थ उचित उत्तर और आशा अनुकूल परिणाम नहीं मिले, तो 16 अगस्त 2027 (सोमवार) से 5-5 गोभक्त और संत आमरण अनशन पर बैठेंगे। अनशन में एक किसी गो सेवक के गो हित प्राण जाने पर उसकी जगह दूसरे गो प्रेमी संत/भक्त आमरण अनशन पर बैठेंगे। यह क्रम तब तक जारी रहेगा, जब तक गो सेवा, गो सुरक्षा और गो सम्मान नहीं मिल जाता।

गो सम्मान आह्वान अभियान
Whats App Channel

आपसे निम्न सहयोग की अपेक्षा :-

(1) प्रचारक बनकर 2 वर्ष, 6 माह अथवा तीन माह का समय दान कर अभियान विषय को शक्ति प्रदान करे।

(2) गो.स.आ.अभियान में लगे क्षेत्रीय, प्रांतीय, संभागीय अथवा जिला प्रचारक जब आपके क्षेत्र में अभियान का प्रचार करने आए तब उनको भोजन, आवास उपलब्ध करवाकर और आगे प्रस्थान हेतु वाहन से छुड़वाकर, टिकिट करवाकर अथवा वाहन में ईंधन भरवा कर सहयोग कर सकते हैं।

(3) अभियान में प्रचार प्रसार निमित्त बैनर, पोस्टर और पर्चे (पेम्पलेट) छपवा सकते है। प्रिंट हेतु अभियान की वेबसाइट से बैनर, पोस्टर, प्रचार पत्रक की PDF और CDR फाइल डाउनलोड करे। कृपया प्रचार सामग्री पर सौजन्य से, अपना नाम, अपनी संस्था का नाम, अपने संगठन का नाम नहीं लिखे तथा बेनर, पोस्टर, पत्रक के मैटर में परिवर्तन किए बिना यथारूप प्रिंट करवा कर के अपने क्षेत्र में स्वयं वितरित करे अथवा अपने क्षेत्र में कार्यरत प्रचारक को प्रदान कर गो सेवा में सहयोग कर सकते हैं।

(सीडीआर या पीडीएफ फाइल प्राप्त करने हेतु व्हाट्स एप नंबर पर भी मेसेज कर सकते है)

संपर्क और जुड़ाव

गो सेवा और गो रक्षा के माध्यम से होने वाले राष्ट्र रक्षा एव संस्कृति रक्षा के इस निष्काम और पवित्र अभियान में सम्मिलित होने के लिए

(1) अपनी विस्तृत जानकारी भेजें - Whatsapp No. 8239711008

(2) अधिक जानकारी के लिए कॉल करें - 9571712140

(3) अभियान से जुड़ने के लिए मिस कॉल करे - 9067777323

(4) वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म भरे - https://www.gausamman.cloud

NO DONATIONS

इस अभियान हेतु किसी भी प्रकार का दान चंदा स्वीकार नहीं किया जा रहा है। अगर कोई इस अभियान के नाम से दान चंदा मांगे, तो 8239711008 नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से शिकायत करें।

अधिक जानकारी हेतु अभियान की वेबसाइट पर विजिट करे

https://www.gausamman.cloud

अभियान के फेसबुक, यू ट्यूब, इन्स्टा, व्हाट्सअप और अन्य सोशल मीडिया अकाउंट के लिए QR कोड स्कैन करे

https://www.gausamman.cloud/socialmedia